आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
13/08/19	**न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद।** जमाबंदी रद्दवाद संख्या–01 / AC / 2018–19 **कृष्णनंदन सिंह एवं अन्य बनाम ख्याली यादव एवं अन्य** **आदेश** यह जमाबंदी रद्द वाद श्री कृष्णनंदन सिंह, पिता–स्व0 बासुदेव सिंह तथा सुरेन्द्र कुमार एवं शैलेन्द्र कुमार, पिता–हरिनंदन सिंह ग्राम–गोनसा पो0–कल्पा, थाना+जिला–जहानाबाद के द्वारा श्री ख्याली यादव, बिन्दा यादव, रामदेव यादव, पिता–स्व0 श्याम लाल यादव तथा सुमन देवी पति–यशवीर सिंह, पिता–स्व0 सरदार अजीत सिंह, ग्राम–मिल्की थाना+जिला–जहानाबाद के द्वारा गलत ढंग से जमाबंदी कायम करा लिये जाने के कारण इनके विरूद्ध बिहार नामान्तरण अधिनियम 2011 की धारा (9) के तहत भूमि की जमाबंदी करने हेतु आवेदन दायर किया गया है प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रस्तुत वाद में ख्याली यादव, बिन्दा यादव एवं रामदेव यादव सभी के पिता–श्याम लाल यादव के नाम चल रहे जमाबंदी को सुमन देवी पति–यशवीर सिंह एवं यशवीर सिंह पिता–स्व0 सरदार अजीत सिंह द्वारा विक्रय संविदा निष्पादित किये जाने के आधार पर रद्द करने हेतु दायर किया गया है। अपीलार्थी के ओर से एक वंशावली प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार मुसाफिर सिंह के पाँच पुत्र मुनेशवर सिंह, रामेशवर सिंह, रामकेशवर सिंह एवं राम दहीन थे। मुनेशवर सिंह को दो पुत्री जीव रथन कुँअर (वर्ष–1971 में मृत) लालदेव सिंह (वर्ष–1988 में पत्नी श्यामपति देवी को छोड़कर मर गये) मनरखन कुँअर (वर्ष–1980 मे मृत) इसी प्रकार रामदहीन सिंह के पुत्र वासूदेव सिंह, वासूदेव सिंह के दो पुत्र हरिनंदन सिंह एवं कृष्णनंदन सिंह हुए, इसके बाद हरिनंदन सिंह के दो पुत्र सुरेन्द्र कुमार सिंह एवं शैलेन्द्र कुमार सिंह हुए। यह है कि मौजा गोनसा थाना–जहानाबाद के खाता न0–63 / 90, प्लॉट न0–52 / 13 रकवा–70डी0 जिसकी चौहदी उ0 बनवारी प्रसाद, दक्षिण, नीज, पू0–बाबू लाल यादव, प0–चन्द्रिका प्रसाद सिंह है। यह भूमि खयितानी रैयत लालदेव सिंह एवं उनकी पत्नी श्यामपति देवी से क्रय की गयी है। यह अपीलार्थी न0–01 के चाचा–चाची है कृष्णनन्दन सिंह एवं आवेदक न0–02 हरिनंदन सिंह। यह है कि लालदेव सिंह एवं श्यामपति देवी की मृत्यु निःसंतान हो गयी है। इस लिए लालदेव सिंह एवं श्यामपति देवी की जमीन कृष्णनन्दन सिंह एवं श्यामपति देवी की जमीन कृष्णनन्दन सिंह एवं स्व0 हरिनन्दन सिह के कब्जे मे आई। इस भूमि का नामान्तरण वाद संख्या–38 / 94–95 द्वारा अभिनन्दन सिंह एवं कृष्णनन्दन सिंह के नाम से की गयी। यह की विपक्षी द्वितीय सेट ने द्वेषवश विपक्षी प्रथम सेट द्वारा दिखावा के लिए भूमि का हस्तानान्तरण किया गया है जबकि उन्हे कोई अधिकार नहीं है। इस विक्रय संविदा गैरकानूनी है। क्योकि यह बिना सम्मति के किया गया है। यह विधिमान्य है कि दखल कब्जा ही स्वत्व को दर्शाता है, विवादी भूमि का का जमाबंदी जो विपक्षी प्रथम सेट के पक्ष मे खोला गया है गैर कानूनी है तथा बिहार नामान्तरण अधिनियम 2011 के तहत गलत है इसलिए विपक्षी सेट के नाम से नामान्तरण वाद 1320 / 2014–15 द्वारा जमाबदी संख्या–393 / 03 नियमों को नजर अन्दाज करते हुए खोला गया है। मुशंफ, जहानाबाद के	